

न्यायालय लखनऊ कठुमार (अलवर) राज.

सरकार जसिये रिपोर्ट पटवारी हल्का गुसारी बनाम रामदयाल/शानी जाटव गुसारी

एकरूप अन्तगत पास बाएलवार फुट

प्रकरण संख्या :- RA/27/2018

निर्णय दिनांक :- 25/11/19

प्रवाहनी प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम गुसारी की आ.सं. 454 कुल रकमा 1.08 किया जादान 0.01 में से 0.01 रकमे पर से रामदयाल/शानी जाटव पर अमानिक्ल खय से अतिरिक्कन कर काकडी/धुडा काका वार लिया है। इस मर पटवारी हल्का गुसारी द्वारा दिनांक 12/6/18

को उसके विरुद्ध यामनी कायतायी किचे जाने की रिपोर्ट मय लाईस भू.अ.निरी. कठुमार के द्वारा प्रस्तुत किचे जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिरिक्की रामदयाल/शानी जाति जाटव गिलासी गुसारी को भू. राजरय अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किचे मये नोटिस की तामील बरसाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शानिमे प्रवाहनी किया गया। अतिरिक्की उपस्थित आया। जवाब नोटिस मेश किया जो शामिल प्रवाहनी है।

उपस्थित आया। जवाब नोटिस मेश किया जो शामिल प्रवाहनी है। उरल रकमता आ.सं.नं. 454 रकमा 1.08 म से 0.01 रकमे किरस 30 गुमस्यर के निरामन 1.08 म से 0.01 रकमे से वेदखल किचा जाने के आदेश दिग जाम म मर उण्ड स्वकप जनाम 63 Paise का 50 गुना 32/1 रकमे पेनल्टी आरोपित की जाती है मांचा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जाते, पेनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी गुसारी भू.अ.निरी. कठुमार को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लखनऊ न्यायालय कठुमार (अलवर) राज.

अतिरिक्की :- प. ह. वा. नि. सं. 4 के 158 व 16 मय सं. 9 नं. 20/8-19 मय ली गयी क 32/1 को कायमी की गई

11/3/19 कठुमार (अलवर) राज.